ए ट

(राष्ट्रीय लोक अदालत 2022)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 400/2022

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.।

शिवराजसिंह पुत्र बुगरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1–बुगरसिंह पुत्र गनीसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2–सुखजीतकौर पुत्री बुगरसिंह पत्नी सुखपालसिंह जाति जटसिख सा0 दौलतपुरा तह.टिब्बी
3–सुखमनदीपकौर पुत्री बुगरसिंह पत्नी गुरदाससिंह जाति जटसिख साकिन सिलवाला खुर्द
4–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–

1–ओम प्रकाश शर्मा वकील वादीगण
2–नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3

निर्णय

दिनांक 13.8.2022

यह पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अनतगर्त धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के व्यक्ति है, दावा को समझने के वादी ने अपने पिता की वंशावली पहरा 1 में दर्ज की है प्रतिवादी संख्या एक वादी का पिता व प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 वादी की सगी बहिने है, वादी के पिता यानि प्रतिवादी संख्या एक बुगरसिंह पुत्र गनीसिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 204/95 में कुल 1.265 है0 में से 1/12 हि. तथा इसी चक न. 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 133/80 में 269/1075 हि. की 0.269 है0 तथा इसी चक न. 3 ए.एम.पी. खाता सं. 136/108 में कुल 0.506 है0 इस प्रकार कुल 0.880 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में है नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। वादी एवं प्रति0 संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के व्यक्ति है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त प्रश्नगत भूमि हम वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की विरास्तन जद्दी जायदाद है तथा विरास्तन भूमि में जिसमें वादी का जन्मजात हक व हिस्सा बनता है। जिसे वादी घोषित कराने का मुस्तहक एवं दावेदार है। दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित समस्त सम्पति वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की जद्दी जायदाद है जिसमें प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती उन्होने अपना–अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया है, जिसे वादी घोषित करा अपने नाम कराने का मुस्तहक एवं दावेदार है [illegible] के अलावा भी 13 बीघा भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है इस दावा [illegible] समस्त [illegible] राजी घरु विभाजन में वादी को प्राप्त हो चुकी है जिसका विवरण इस प्रकार है कि [illegible] ए.एम. पी. खाता संख्या 204/95 में 0.105 है0 तथा खाता संख्या 133/80 में 0.269 है0 तथा खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:31 IST
Reason: SelfAttested

शेष पृष्ठ 2 पर

13/8
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सं. 136/108 में 0.506 है0 इसप्रकार कुल 0.880 है0 नहरी भूमि वादी को प्राप्त हो चुकी है, जिसका कब्जा भी वादी के पास है, अत–वादी अपने को मिली घरू विभाजन में उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है जिसे घोषित करवाने वादी मुश्तहक एवं दावेदार है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अभी तक प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने से वादी बैंक, लिमिट व किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ है, इससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वे वादी को दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित कुल भूमि का जन्मजात एवं मुताबिक घरू विभाजन वादी को दी गई भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख निश्चित की गई। मुकर्रा तारीख पैशी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये वकील एवं स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से राज पेरोकार ने अपना जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में राजीनामा पेश होने पर दावा में कोई विरोध नहीं रहा इसलिये तनकीयात कायम नही की गई। वादी ने प्रस्तुत दस्तावेज पूर्दश हेतु साक्ष्य में अपना शपथ पत्र आ.18 नि.4 सी.पी.सी. के तहत पैश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दीया प्रदुशित कराई गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से लोक अदालत के रोज वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया, बहस वकील प्रतिवादी ने भी मुताबिक राजीनामा दावा को डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति जाहिर की। अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि वादी अपने पिता बुगरसिंह पुत्र गनीसिंह के नाम चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 204/95 में 1/12 हि. व खाता संख्या 133/80 में 269/1075 व खाता सं. 136/108 में 0.506 है0 उक्त समस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अतः उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि बैंक के रहन हो तो बैंक नौ–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:51 IST
Reason: SelfAttested

18/11/22

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सगरिया

(राष्ट्रीय लोक अदालत 2022)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय–सहायक कलक्टर, संगरिया

पीठासीन अधिकारी– रमेश देव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 400/2022 दावा अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.।

शिवराजसिंह पुत्र बुगरसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1–बुगरसिंह पुत्र गनीसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2–सुखजीतकौर पुत्री बुगरसिंह पत्नी सुखपालसिंह जाति जटसिख सा0 दौलतपुरा तह.टिब्बी
3–सुखमनदीपकौर पुत्री बुगरसिंह पत्नी गुरदाससिंह जाति जटसिख साकिन सिलवाला खुर्द
4–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

––प्रतिवादीगण––

दावा बाबत इस्तकरार हक

यह मुकद्मा आज वास्ते इन फिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदई नवरत्न स्वामी जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–वादी अपने पिता बुगरसिंह पुत्र गनीसिंह के नाम चक नम्बर 3 ए. एम.पी. खाता संख्या 204/95 में 1/12 हि. व खाता संख्या 133/80 में 269/1075 व खाता सं. 136/108 में 0.506 है0 उक्त समस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है अतः उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि बैंक के रहन हो तो बैंक नौ–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।

निज.....X.....मुब्लिक.....X.....बाबत.....X.....।खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....X.....को अदा करे।। बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.8.2022 को जारी किया गया

13/8/22

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:51 IST
Reason: SelfAttested